SHRI TENETI VISWANATHAM: In the circumstances, I move that we proceed to the next item.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If it is the sense of the House .... (*Interruptions.*)

SHRI MORARJI DESAI: No, Sir; you have to decide.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I still hold that because these two paragraphs are restored and circulated, that will not in any manner affect the debate . . . (*Interruptions.*)

We proceed to the next item.

---

**14.31 hrs.**

## PUBLIC PREMISES (EVICTION OF UNAUTHORISED OCCUPANTS) AMENDMENT BILL

THE MINISTER OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI JAGANATH RAO): I move:

"That the Bill further to amend the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1958, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1958, was enacted to provide for speedy machinery for the eviction of unauthorised occupants from public premises and recovery of arrears of rent and damages for unauthorised occupation of such premises. The Act empowers the competent authority called the 'Estate Officer' to evict any person in unauthorised occupation of public premises. The Act stipulates that after a show cause notice and after giving the unauthorised occupant a reasonable opportunity of being heard, the estate officer may make an order of eviction for reasons to be recorded therein, directing that the public premises shall be vacated by all unauthorised occupants. In the event of non-compliance with the eviction order within 30 days, the estate officer or any other duly authorised officer may evict that person from, and take possession of, the public premises. The Act also provides for recovery of rent and damages as arrears of land revenue.

Similar provisions exist in the Punjab Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1959 prevailing in Punjab and Haryana.

In April, 1967, the Supreme Court declared section 5 of the Punjab Public Premises and Land (Eviction of Rent Recovery) Act void on the ground that it conferred an additional remedy over and above the usual remedy by way of suit. The Supreme Court held that provision of two alternative remedies to the Government and leaving it to the unguided discretion of the Collector to resort to one or the other and to pick and choose among those in occupation of public premises was discriminatory and therefore it violated article 14 of the Constitution.

As the objects and procedures prescribed by the Central Act, which we propose to amend are similar to those of the Punjab Act, we felt that there was risk of the Central Act also being struck down by the Supreme Court, if challenged. We, therefore, thought it necessary that a suitable amendment should be made in the Central Act so that the ordinary remedy by way of civil suit may be taken away.

The Act also empowers the Central Government to recover rent and damages in respect of the public premises as arrears of land revenue. We propose to amend the Act to provide that in the matter of eviction as well as recovery of arrears of rent and damages in respect of public premises, only the procedure prescribed in the Act shall apply. No Civil Court shall have the jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of the eviction of any unauthorised occupant of public premises or recovery of the arrears of rent and damages.

The 'Public Premises' as defined in the Act are premises belonging to the Central Government, the Delhi Development Authority, Municipal Corporation of Delhi, and the New Delhi Municipal Committee.

We found that the Government Companies as defined in the Companies Act, 1956 (in other words those in which not less than 51 per cent of the Capital is held by the Central Government) were also faced with the problem of eviction of unauthorised occupants and recovery of rent and damages. We, therefore, felt that the premises belonging to Government Companies should also be brought within the purview of the Act.

The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 1968 accordingly was introduced in the Rajya Sabha on the 5th March, 1968. It could not however be passed during the last session of the Rajya Sabha.

On the 29th May, 1968, the Delhi High Court held sections 5 and 7 (2) of this Act to be *ultra vires* of the Constitution on the same grounds as those mentioned by the Supreme Court in the Punjab case.

It was, therefore, considered necessary to promulgate an ordinance on the lines of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 1968, introduced in the Rajya Sabha and pending in this House. The ordinance was issued on the 17th June, 1968.

The Bill introduced in this House on the 5th March, 1968 and the ordinance did not cover premises belonging to statutory corporations such as the Indian Institutes of Technology, the Indian Airlines Corporation, the Air India International, etc. We now propose to bring the premises of those corporate bodies also within the purview of the Act.



As I explained in brief, these are the objects and reasons for the amending Bill. This Bill seeks to replace the ordinance.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion made:

"That the Bill further to amend the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1958, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

SHRI N. SREEKANTAN NAIR (Quilon): Sir, in the Order Paper, this was listed as the last item of Government Business. Because of the other Bill which ought to have taken five hours or more, I have not yet put in my amendment to this Bill, which is a very important one. In this amending Bill, the hon. Minister has excluded the State Governments. At this juncture, when many of the State Governments are run by non-Congress Ministries, it will look very bad when those Governments are excluded. Many of these State Governments have now acquired property here. So far as my State is concerned, some of our properties are in the hands of unauthorised occupants, and there is no provision in this Bill which allows even the Corporations under the Government of India to have all the facilities, and that is being denied to the State Governments. So, that aspect is very important and my amendment may be accepted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That will be coming up. We will see.

SHRI E. K. NAYANAR (Palghat): I did not expect that this Bill will be coming up today. I have also an amendment.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If there is any amendment of yours also, it will also be accepted. You submit it today.

SHRI E. K. NAYANAR: First page, clause (b), *after* "on behalf of the Central Government", add "State Governments'. That is my amendment.

[Shri E. K. Nayanar.]

If the Minister is able to accept the amendment we have no objection.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are making a mistake. There was the question of time that would arise, and therefore I said that it could be waived. It would be in order even if you submit it today. That is all. I cannot accept an amendment on behalf of the Minister; that is the point. How can I say that? The amendment will be allowed to be moved.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY (Cooch-Behar): On this Bill, I have also submitted an amendment, particularly to section 4, where I have sought to delete lines 28 to 35. I do not know what will happen to my amendment, nor has that been printed.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will find out.

SHRI SHRINIBAS MISRA (Cuttack): One question and a clarification. While the hon. Minister was speaking, there was reference to the civil court. Who will decide, except the civil court, whether a person is an unauthorised occupant or not? The words used are "unauthorised occupant". Who will decide whether they are unauthorised occupants or not. I want a clarification.

SHRI JAGANATH RAO: The Government. The Estate Officer has got the powers of a civil court under the original Act.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल लाया गया है वह मेरे विचार से किसानों और खास तौर से दिल्ली शहर में जो झुग्गी झोंपड़ी वाले रहते हैं उनके खिलाफ लाया गया है। सरकार इस कुल्हाड़ी को चलाकर लाखों झुग्गी-झोंपड़ी वालों को निराश्रित करना चाहती है और उन्हें कोई दूसरा स्थान देने का विचार भी नहीं रखती। इस माननीय सदन में इस सवाल पर बार बार बहस हुई है, किसी न किसी रूप में इस सवाल को उठाया गया है। मैं इस बिल के सिलसिले में इतना कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली शहर का बहुत तेजी के साथ विकास हो रहा है और दूसरे राज्यों में अन्य शहरों का भी विकास हो रहा है। विकास होना कोई बरी बात नहीं है लेकिन अगर विकास के नाम पर गरीबों की जमीन ली जाये, उन्हें उचित मुआवना भी न दिया जाये तो यह उचित नहीं कहा जा सकता। दिल्ली शहर के अन्दर लाखों झुग्गी झोंपड़ी वालों को वे घरबार बनाया जा रहा है। मझे इस बिल का मकसद यही मालूम पड़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि दिल्ली में इस सवाल को लेकर तमाम शहर के अन्दर बहुत बड़ा बावेला है। लोगों को बहुत दूर दूर ले जाकर बसाने के नाम पर वहां रक्खा जाता है और उन के लिये कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। सीमापुरी यहां से 9-10 मील की दूरी पर है। यहां के जमना बाजार के लोगों को उठा करके वहां सीमापुरी में ले जाया गया। इस सिलसिले में मैं आप के जरिये मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्दा थे और देश के प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने उन लोगों को आश्वासन दिया था कि उन को दूर नहीं ले जाया जायगा लेकिन उस के बावजूद उन्हें दूर ले जाया जा रहा है। खुद हमारे जो मंत्री महोदय श्री इक़बाल सिंह हैं उन्होंने भी वायदा किया था। जैसा कि यह सरकार तमाम वायदों को भूल जाती है, उस वायदे को भी वह भूल गयी और आज लाखों आदमियों को यहां से उजाड करके दूसरी दूर-दूर जगहों पर बसाया जा रहा है। वहां पर उन के लिये कोई नागरिक सुविधा नहीं है। पानी नहीं है, रोशनी का बदोबस्त नहीं है और सफ़ाई की भी व्यवस्था नहीं है। आस पास में जितनी भी कालोनियां बनाई गई हैं वहां जा करके आप देख सकते हैं। वायदा तो आप करते हैं कि जायेंगे, गृह मंत्री महोदय ने भी एक बार वायदा किया था कि

वह खुद जाकर देखेंगे, मालूम नहीं कि उन्होंने देखा या नहीं ।

मेरा निवेदन यही होगा कि आप इस बिल के नाम पर झुग्गी झोंपड़ी वालों को उजाड़ने की कोशिश न करें । उन गरीबों को उजाड़ कर बड़े लोगों को, धनियों को और पैसे वालों को आप बसाना चाहते हैं । ऐसा हम इसलिये समझते हैं कि जहाँ से भी आप ने इन झुग्गी झोंपड़ी वालों को हटाया है वहाँ कुछ बड़े बड़े मकानात भी थे लेकिन आप ने उन को कुछ नहीं कहा और वे आज भी खड़े हुए हैं । यह भेदभाव की नीति, गरीबों के प्रति एक नीति और अमीरों के साथ दूसरी नीति, यह कैसा जनतंत्र है ? ऐसा लगता है कि आप इसी को जनतंत्र समझते हैं लेकिन हम ऐसे जनतंत्र के पक्ष में नहीं हैं । पूरे देश के लोग इस का विरोध करते हैं और माँग करते हैं कि सरकार झुग्गी झोंपड़ी वालों की व्यवस्था करे ।

14.42 hrs.

[SHRI R. D. BHANDARE *in the Chair.*]

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार के छोटा नागपुर के इलाके में आप कारखाने बना रहे हैं, कारखाने बनाना स्वागत योग्य बात है, जरूर बनाइये कारखाने और देश का औद्योगीकरण कीजिये । देश को अपने पाँवों पर खड़ा कीजिये । उसे आत्म निर्भर बनाइये यह स्वागत की बात है । लेकिन इस के नाम पर हटिया में आप जाकर देख आइये कि वहाँ पर आदिवासी किसानों को किस तरीके से उजाड़ा गया है ? किस तरीके से वे बेपनाह बने हुए हैं ? न उन के लिये खाने की कोई व्यवस्था है और न रहने की कोई व्यवस्था है और न ही कोई और व्यवस्था है । सब से बढ़ कर दुःख की बात यह है कि वर्षों वर्षों आप उन को मुआविजा भी नहीं देते जिससे वे कहीं जाकर बसें और कहीं जाकर अपनी झोंपड़ी खड़ी कर सकें । छोटा नागपुर के अन्दर हटिया में और जहाँ भी आप कारखाने बना रहे हैं वहाँ पर यह बात चल रही है और यही वजह है कि आज आदिवासियों के अन्दर बहुत असन्तोष है । वे आप की इस नीति के खिलाफ़ आन्दोलन कर रहे हैं । आप गरीबों को उजाड़ तो देते हैं लेकिन उन के लिये कोई व्यवस्था नहीं करते कोई व्यवस्था नहीं करते हैं । जब वह आदिवासी जनता जमीन छीने जाने के खिलाफ आन्दोलन करती है, आप जमीन छीनते हैं साहूकार लोग जमीन छीनते हैं और जब उस के खिलाफ़ वह आदिवासी जनता आन्दोलन करती है तो कहा जाता है कि नक्सलबाड़ी का आन्दोलन शुरू हो गया । कहा जाता है कि यह सब गड़बड़ कर रहे हैं । शान्ति और व्यवस्था के मार्ग में ये लोग बाधा डालना चाहते हैं और इसके आप लिये उस आन्दोलन को बदनाम करते हैं । इस के अलावा आप उस आन्दोलन में क्रिश्चियन और नौन क्रिश्चियन आदिवासी किसानों के अन्दर भेद भाव डाल कर उन के अन्दर फूट डालना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि यह चीज गलत है । इस का एक ही रास्ता है कि उन को बसाने की आप व्यवस्था कीजिये लेकिन अगर आप वैसा नहीं कर सकते है तो उन की जमीन न ली जाय । अगर आप ऐसा करेंगे तो आदिवासी लोग आन्दोलन करेंगे और आन्दोलन हो भी रहा है ।

इसी तरीके से बरौनी के अन्दर तेल-शोधक कारखाना बनवाया गया और खाद का भी कारखाना वहां आप बना रहे हैं । वहां की जनता इस के यलये अपा को बधाई देने को तैयार है । लेकिन जिन गरीब किसानों को इस के वास्ते आम जमीनें ले लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम मुआविजा देंगे तो क्षतिपूर्ति आप उन्हें नाममात्र के लिये ही देने को तैयार हैं । क़ानून इसके लिये पहले आप ने कुछ बनाये हैं लेकिन उस को आप अमल में नहीं लाते हैं और कहीं 1000, कहीं 2000 और कहीं 500 रुपया, इस तरह से आप की एकड़

[श्री रामावतार शास्त्री]

या फी बीघा का उन्हें मुग्राविजा देते हैं । चाहे बरौनी के इलाके में या देश के ग्रन्दर जहां भी ग्राप कारखाने बनाना चाहते हैं । बनाइये लेकिन कारखाने के नाम पर ग्राप किसी को उजाड़िये नहीं । उन के लिए व्यवस्था होनी चाहिये ताकि वे ग्रपनी रोज़ी, रोटी कमा सकें ग्रौर ठीक तरीके से ग्रपना जीवन व्यतीत कर सकें ।

हमारे बिहार के ग्रन्दर शाहाबाद एक ज़िला है । उस जिले से केन्द्रीय मंत्रिमंडल हमारे डा० राम सुभग सिंह हैं। वहां एक ग्रमझौर का इलाका है जहां पर गंधक की खानें हैं । गंधक की खानों के काम को बढ़ावा देने के लिये ग्राप किसानों से वहां की जमीन को लेना चाहते हैं लेकिन ज़मीनें उन की लेकर ग्राप उन्हें देना क्या चाहते हैं ? 500 रुपये बीघा के दाम ग्राप उन्हें देना चाहते हैं । ग्रब 500 रुपये बीघा क्या कहीं भी जमीन मिलती है ? ग्रगर इस दाम पर नहीं मिलती है तो मेरा कहना यह है कि ग्राप इस बिल के जरिए उन गरीब किसानों को लूटखसोट करने की बात करना चाहते हैं । गरीब किसानों को ग्राप तबाह करना चाहते हैं । इस नीति को बिलकुल बंद कीजिये । ग्रगर उन की ज़मीन लेना ज़रूरी ही हो जाय तो फिर ग्राप उन को उस का सही सही ग्रौर माकूल मुग्राविज़ा दीजिये । उन की ठीक से ग्राप क्षतिपूर्ति कीजिये ताकि वे ग्रौर कहीं जा कर बस सकें ग्रौर ग्रपनी रोज़ी, रोटी कमा सकें ।

साथ ही गरीबों को एक ग्रौर तरह से भी सताया जाता है । जमीन ग्राप ले लेते हैं ग्रौर वर्षों तक उस का मुग्राविजा नहीं देते हैं । इसके बहुत सारे उदाहरण पिछली बार भी बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस सदन में पेश किये थे ग्रौर ग्रभी भी बहुत सारे ग्रौर उदाहरण पेश किये जा सकते हैं लेकिन उस के लिये वक्त नहीं है । मैं जानता हूं कि वर्षों, तीन तीन ग्रौर चार चार साल पहले जमीन ग्राप ने किसी न किसी नाम पर ले ली है लेकिन उस का मुग्राविज़ा ग्राप ने नहीं दिया है । तब ग्राप ही बताइये कि वे बचारे किसान कहां जायं ? वे इसके बारे में लिखापढ़ी करते हैं लेकिन उन्हें जवाब तक नहीं दिया जाता है मैं चाहता हूं कि उन को ग्राप मुग्राविज़ा दीजिये ग्रौर समय पर दीजिये । घूसखोरी जो होती है, वह लूट-खसोट जो ग्राप के ग्रफसरान करते हैं उस लूटखसोट को ग्राप बंद करना होगा । ग्रगर ग्राप देश के विकास के लिये, उद्योग धंधों के विकास के लिये ग्रौर इन शहरों ग्रौर नगरों को सुन्दर बनाने के लिये ज़मीन चाहते हैं तो ज़मीन ग्राप ले लीजिये लेकिन मेहरबानी करके ग्राप उन को दर दर का भिखारी न बनाइये । उन के लिये ग्राप व्यवस्था कीजिये ।

ग्रंत में मैं फिर ग्राप से निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली शहर के ग्रन्दर जो लाखों की तादाद में झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं वे सब गरीब हैं । उन की तरफ ग्राप का ध्यान जाना चाहिये ग्रौर उन की समस्याग्रों का निदान होना चाहिये । लेकिन ग्रगर ग्राप में उन की समस्याग्रों का निदान करने की कुव्वत नहीं है तो फिर मेहरबानी करके उन्हें बसने दीजिये, उन को रहने दीजिये । उन को उजाड़िये नहीं । इस तरह से गरीबों के जीवन के साथ खिलवाड़ मत कीजिये । मैं ग्राप से की मार्फत सरकार पुरजोर शब्दों में ग्रपील करना चाहता हूं कि उन के साथ हमदर्दी का बर्त्ताव किया जाय लेकिन सरकार के ग्रभी तक के रवैये से तो एसा लगता है कि उस ने दिल्ली के झुग्गी झोंपड़ी वालों को उजाड़ने के लिये ही इस बिल को पेश किया है ग्रौर उस के जरिए यहां की जो दिल्ली डेवलपमेंट एथारिटी है उस को ग्राप निरंकुश ग्रधिकार देना चाहते हैं। वे तो पहले से ही निरंकुश हैं, ग्राप उन्हें ग्रौर ज्यादा निरंकुश ग्रधिकार देना चाहते हैं । इस निरंकुशता पर ग्रापको

अंकुश लगाना होगा, उन की मनमानी को बन्द करना होगा। अगर आप नहीं कीजियेगा तो फिर जनता चुपचाप नहीं बैठी रहेगी। जेल जाना होगा तो वह जेल जायेगी, आप से लड़ेगी, मंत्री जी का घेराव करेगी। मंत्री जी चुपचाप घर में नहीं बैठ सकते। आज उन्होंने देखा कि सरकारी कर्मचारियों ने धरना दिया। सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन जेल में बन्द करने से तो काम नहीं चलेगा। उनकी समस्याओं को निदान करना होगा। अगर सरकार ने समस्याओं का निदान न किया, इस तरह का बिल बना दिया और गरीबों को उजाड़ दिया गया, तो गरीब लोग अपना संगठन बनायेंगे, एकता बनायेंगे और जो गरीब लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, उन सब को मिला कर, उन्हें एक साथ लेकर आप को घेरेंगे, आप की सरकार के दूसरे मंत्रियों को घेरेंगे, प्रधान मंत्री को घेरेंगे, वित्त मंत्री को घेरेंगे गृह मंत्री को घेरेंगे, और दिल्ली के भीतर आपकी सरकार को चैन से रहना मुश्किल हो जायेगा।

इसलिये मेरा निवेदन है कि इस तरह के बिल को मंत्री जी पेश न करें जिससे गरीबों पर हमला होने वाला है। मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

**श्री रणधीर सिंह** (रोहतक) : सभापति महोदय, यह बिल और इससे पहले जो बिल था, उस की तहत, मुझे जाती तजुर्बा है क्योंकि मैंने हजारों केस लिये हैं, एक ऐसा खंजर है गवर्नमेंट के हाथ में और एक जबाखाना है जिसमें सैकड़ों नहीं हजारों, लाखों मासूम आदमी जाबिर सरकार के हाथों कत्ल किये गये हैं और किये जा सकते हैं। इसमें कुछ भले की बातें भी हैं, लेकिन भले से ज्यादा, मैं समझता हूं ज्यादतियों की बातें हैं। चूंकि मिनिस्टर साहब इस बिल को लाये हैं इस लिये इसकी तहत जो ज्यादतियां हुई हैं या हो सकती हैं या होंगी साथ ही जो अच्छे काम हो सकते हैं उन दोनों की तरफ मैं उनकी तवजह रुजू करना चाहता हूं।

जिन गरीबों का, किसान या मजदूरों का, जिनका माननीय सदस्य ने जिक्र किया, किसी जायदाद पर या किसी जमीन पर कब्जा है और बोनाफाइडी कब्जा है, प्रोप्राइटरी से काबिज हैं या दूसरे हक हकूक से तहत काबिज हैं, उन्हें गवर्नमेंट समरी मेनर में बेदखल करायेगी। यह समरी प्रोसीजर जो इसकी तहत है वह वैसे ही है जैसे कोर्ट मार्शल होता है। उसमें कोई शहादत नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं और किन्हीं लम्ब चौड़े कागजात की एडमिसिबिलिटी का सवाल नहीं है।

**श्री म० सिं० सहगल** (बिलासपुर) : इस में वही हाल है कि जबह भी करते हैं और कहते हैं कि फरियाद न कर।

**श्री रणधीर सिंह** : इस की तहत एक गवर्नमेंट ही नहीं, गवर्नमेंट के साथ अब और भी इरादे आ गये। कम्पनी को भी अख्त्यार होगा, कोरपोरेशन को भी अख्त्यार होगा, म्यूनिसिपैलिटी को भी अख्त्यार होगा, डेवलपमेंट अथारिटी को भी अख्त्यार होगा। एक कातिल के बजाय 6 कातिल जुमरः में शामिल कर लिये गये मारे गये बेचारे गरीब जदूर और किसान, जिन का कब्जा है।

**एक माननीय सदस्य** : कौन गरीब है?

**श्री रणधीर सिंह** : वह गरीब मजदूर ही हैं। क्या यह रईस आदमी हैं जो झुग्गियों में रहते हैं? आप एक्स्प्लायटर हैं और हमेशा एक्सप्लायट करने की बात कहते हैं।

एक आदमी जबर्दस्ती कब्जा करे, चाहे वह पंचायत की जमीन हो चाहे जिला परिषद की जमीन हो, चाहे सरकार की जमीन हो,

[श्री रणधीर सिंह]

चाहे म्यूनिसिपल कमेटी की जमीन हो, उससे मुझे कोई हमदर्दी नहीं, उस आदमी को आप बेदखल करें और इस एक्ट को उस पर नाफिज करें। सैकड़ों नहीं हजारों मिसालें ऐसी हैं जहां आदमी अपने मतलब के लिए गांव पंचायत पर कब्जा कर लेता है, शामिलात जमीन के सैकड़ों बीघों पर, जो गांव के मुश्तर्का मफाद के काम में आ सकती है एक आदमी कब्जा कर लेता है, उस का एक पैसा लगान का नहीं देता, बारह साल के बाद दावा करता है कि वह मालिक बन गया, अगर इस तरह के आदमी को बेदखल किया जाये तो उससे मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, और अगर म्यूनिसिपैलिटी की जमीन पर कोई आदमी अपने हिर्स की खातिर, लालच या ग्रीड की खातिर जबर्दस्ती कब्जा कर लेता है और कहता है कि कब्जा मुखालिफाना हो जायेगा और वह मालिक बन जायेगा, तो उस में भी मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। आप उसको बेदखल कराइये, जिनकी डेवेलप्ड एरिया में जमीन हैं, उन्होंने मुआवजा भी ले लिया लेकिन कब्जा जारी है।

**श्री प्र० सिंह सहगल** : नौ, नौ बरस से कब्जा है।

**श्री रणधीर सिंह** : जो आदमी पैसा ले ले, कम्पेन्सेशन ले ले और कब्जा भी रखे, उसको छोड़े नहीं, उनसे मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। जरूर उन पर बिल नाफिज किया जाये और उन्हें बेदखल कराया जाये, लेकिन मैं उन आदमियों की बातें करता हूं, सैकड़ों नहीं लाखों की, जिनका उस बिल से ताल्लुक है जिसको आपने इससे पहले पास कराया है, जिन का ताल्लुक एक्विजिशन और रिक्विजिशन ऐक्ट से है। दोनों बिल बहन और भाई हैं। जिस जमीन पर आप जबर्दस्ती कब्जा करें, जबर्दस्ती रिक्विजिशन करें उस का आपको ठीक मुआवजा देना चाहिये। (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य सुनें मैं क्या कह रहा हूं। मैंने सिर्फ यह बात कही कि कल गवर्नमेंट नहर के लिये, गवर्नमेंट एअरोड्रोम के लिये, कल गवर्नमेंट रिजर्वायर के लिये, रेलवे की सड़क के लिये, ड्रेनेज के लिये देहात में जमीन लेगी। किसान कहेगा कि ठीक मुआवजा नहीं मिला, वह काम्पीटेंट कोर्ट में जायेगा और दुनिया भर की बात करेगा। लेकिन इस ऐक्ट की तहत आप उस किसान को फांसी दे सकेंगे, उसको फौरन निकाल दे सकेंगे, बाहर फैंक देंगे चाहे उसे मुआवजा मिला या नहीं। मुझे उसके साथ हमदर्दी है। इस तरह के केस यहां पर सैकड़ों हैं कि जो आदमी पन्द्रह बीस सालों से बैठे हुए हैं, लेसीज हैं, वह लगान दे रहे हैं, लेकिन उन को आप यहां से पन्द्रह मील दूर ढोर या डंगर की तरह से निकाल बाहर कर देंगे। उनको फैंक देंगे। क्या वह इन्सान नहीं है? क्या वह परमात्मा के पैदा किये हुए नहीं हैं? मुझे उन आदमियों के साथ हमदर्दी है जो सिर्फ एक ग्रीन पार्क बनाने के लिए बेला रोड से निकाल दिये गये। मैं चाहूंगा कि मिनिस्टर साहब उनके साथ हमदर्दी रखें। अगर यह ऐक्ट बन गया और गवर्नमेंट के हाथ में ताकत आ गई तो वह इस तरह करेगी कि कोल्हू फेर दिया चाहे उसके नीचे कीड़ा मरे, मकोड़ा मरे या इन्सान मरे मैं खास तौर पर इस की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

अगर आप किसी ग्रीन पार्क के लिए या किसी भी पार्क के लिये या देश के यूज के लिये भी सैकड़ों जानों से खेलें तो यह ठीक नहीं होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो उनके एम्प्लायमेंट अपार्चुनिटीज खत्म होंगी, उनके बने बनाये घर, जिन पर किसी ने हजारों रुपये खर्च किये किसी ने 500 रु० खर्च किये उजाड़ दिये जायेंगे। किसी झुग्गी वाले ने कई-कई सालों तक अपने पैसे को बचाया है, किसी ने जेवर गिरवी रक्खे हैं, किसी ने जेवरात बेचे हैं तब जाकर छोटी छोटी झोंपड़ियां बनाई हैं। उनके बारे में जो हमदर्दी का एलिमेंट है उस की तरफ आपको ध्यान देना होगा। खास तौर से जो

शहर की सफाई करने वाले लोग हैं उन हजारों आ मियों के साथ आप खेल रहे हैं, अगर आप उनको पहले बसा दें, उनको एम्प्लायमेंट अपार्चुनिटीज दे दें, उन के रहने का इन्तजाम कर दें, उनके लिये कोई धन्धा तलाश कर दें, तब मेरी हमदर्दी आपके साथ होगी । मैं आपकी कठिनाइय. को समझता हूं । लेकिन जिस बात से मुझको विरोध है वह यह है कि गवर्नमेंट ने एक कातिल के बजाय छः कातिल पैदा कर दिये ।

दूसरी बात जो खास तौर पर इस बिल में दी गई है वह क्लाज 10(ई) है, यानी पावर आफ जूरिज्डिक्शन । इससे कहीं ज्यादा यह खतरनाक है । एक आदमी मारे और फिर कहे कि रोओ मत, पीटे भी, मारे भी, कत्ल भी करे लेकिन उसे उफ नहीं होनी चाहिये । इससे ज्यादा जुल्म और क्या हो सकता है ?

15 hrs.

MR. CHAIRMAN: Is he finishing or would he like to have some more time in which case he can continue on the next occasion. Now it is 3 O'clock. We have to take up Private Members' business.

SHRI RANDHIR SINGH: I would like to have some more time. I will continue on the next occasion.

---

## COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

### THIRTY-THIRD REPORT

SHRI BHALJIBHAI PARMAR (Dohad): I move:

"That this House agrees with the Thirty-third Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 31st July, 1968."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That this House agrees with the Thirty-third Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 31st July, 1968."

*The motion was adopted.*

---

15.01 hrs.

## RESOLUTION RE POSTS IN CIVIL AND MILITARY DEPARTMENTS—*contd.*

MR. CHAIRMAN: Now we take up further discussion of the following Resolution moved by Shrimati Tarkeshwari Sinha on the 3rd May, 1968:—

"This House is of opinion that with a view to ensure efficiency and economy, a high-powered committee be appointed to examine the question of creation of highly paid posts and selection of personnel in the Civil and Military Departments, including the existing procedure obtaining in regard thereto."

Shrimati Tarkeshwari Sinha.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA (Barh): Mr. Chairman, Sir, when I moved this Resolution during the last session of the Lok Sabha, I was going to say that many people in the country have been feeling greatly concerned about the growing favouritism and nepotism in our administrative set-up. The tantacles of these are not only confined to the civil service, but these have gone very deeply to our commercial undertakings, the public sector projects; the defence of this country has also not been left immune from that.

We in this country have been following a system of administration which was given to us by the British Government. The Britishers at that time had instituted certain fundamental rules and also had created certain conventions primarily to suit their purpose and the purpose was to reward the loyalties of their subjects. They wanted to create a class of people in this country who could assure them who could provide for them, a complete loyalty to their structure. When we became independent, we hardly did anything to change those things. We did not realise that it was an ad-